37

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति
(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

कोयला मंत्रालय

"कोयले का आयात - प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा "

सैंतीसवां प्रतिवेदन

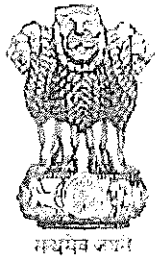

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसंबर, 2022/पौष, 1944(शक)

सैंतीसवां प्रतिवेदन

कोयला, खान और इस्पात संबंधी
स्थायी समिति
(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

कोयला मंत्रालय

"कोयले का आयात प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा "

22.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

22.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसंबर, 2022/पौष, 1944(शक)

विषय सूची

	पृष्ठ
समिति (2021-2022) की संरचना	(v)
समिति (2022-2023) की संरचना	(vi)
प्राक्कथन	(vii)

भाग –एक

क. प्रस्तावना	01
ख. कोयले का उत्पादन	02
ग. कोयले की मांग और आपूर्ति	03
घ. कोयले के आयात को कम करने के लिए उठाए गए कदम	06
(क) अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी)	06
(ख) आयात प्रतिस्थापन के लिए पंजीकृत कोयला उपभोक्ता	10
(ग) विद्युत संयंत्रों के लिए आयात प्रतिस्थापन हेतु किए गए उपाय	11
(घ) सीआईएल द्वारा आयात प्रतिस्थापन के लिए उठाए गए कदम	12
ड. कोकिंग कोल/नॉन कोकिंग कोल का उपयोग करने वाले उद्योग	13
च. कोयले के आयात में गिरावट के कारण विदेशी मुद्रा की बचत	15
छ. विशेष स्पॉट ई-नीलामी योजना	16
ज. कोयले का वाणिज्यिक खनन	17
झ. कोयला उत्पादन का मशीनीकरण	17
ञ. कोकिंग कोल मिशन	19
ट. आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम	19
ठ. कोयले के मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम	20
ड. विदेशों में कोयला ब्लॉकों का अधिग्रहण	21

<u>भाग-दो</u>

समिति की टिप्पणियाँ / सिफ़ारिशें	22

अनुबंध

एक. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की सोमवार, 22 अगस्त, 2022 को हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश 31

दो. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की 20.12.2022 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश 35

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की संरचना

सभापति - श्री राकेश सिंह

लोक सभा

2. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर
3. श्री विजय कुमार हांसदाक
4. श्री कुनार हेम्ब्रम
5. श्री सी. पी. जोशी
6. श्री सौमित्र खान
7. श्री सी. लालरोसांगा
8. श्री एस. मुनिस्वामी
9. श्री अजय निषाद
10. श्री बसंत कुमार पांडा
11. श्रीमती रीती पाठक
12. श्री एस.आर. पार्थिबन
13. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
14. श्री चुन्नीलाल साहू
15. श्री अरुण साव
16. श्री पशुपति नाथ सिंह
17. श्री सुनील कुमार सिंह
18. श्री सुशील कुमार सिंह
19. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
20. डॉ. थोल तिरुमावलवन
21. श्री अशोक कुमार यादव#

राज्य सभा

22. श्री सुब्रता बक्शी
23. श्री प्रशांत नन्दा
24. श्री समीर उरांव
25. श्री दीपक प्रकाश
26. श्री धीरज प्रसाद साहू
27. श्री शिबू सोरेन
28. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी
29. श्री बी. लिंग्याह यादव
30. रिक्त#
31. रिक्त#

डॉ. लोरहो एस. फोज के स्थान पर दिनांक 07.02.2022 से समिति के लिए नामनिर्दिष्ट।

* श्री राम विचार नेताम राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के बाद दिनांक 29.6.2022 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

* डॉ. विकास महात्मे राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने के बाद दिनांक 04.7.2022 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

सभापति - श्री राकेश सिंह

लोक सभा

2. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
3. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर
4. श्री विजय कुमार हांसदाक
5. श्री कुनार हेम्ब्रम
6. श्री सी. पी. जोशी
7. श्रीमती कविता मलोथू
8. श्री एस. मुनिस्वामी
9. श्री अजय निषाद
10. श्री बसंत कुमार पांडा
11. श्री एस.आर.पार्थिबन
12. श्रीमती रीती पाठक
13. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
14. श्री चुन्नी लाल साहु
15. श्री अरुण साव
16. श्री खान सौमित्र
17. श्री सुनील कुमार सिंह
18. श्री सुशील कुमार सिंह
19. श्री पशुपति नाथ सिंह
20. डॉ. थोल तिरुमावलवन
21. श्री अशोक कुमार यादव

राज्य सभा

22. श्री सुब्रता बक्शी
23. श्रीमती महुआ माजी
24. श्री रवंगवरा नारजारी
25. श्री समीर उरांव
26. सुश्री सरोज पाण्डेय
27. श्री दीपक प्रकाश
28. श्री आदित्य प्रसाद
29. श्री धीरज प्रसाद साहू
30. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी
31. श्री बी. लिंगैय्या यादव

सचिवालय

1. श्री जे. एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. श्री अरविंद शर्मा - निदेशक
3. श्री यशपाल शर्मा - अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, कोयला मंत्रालय से संबंधित "**कोयले का आयात - प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा**" विषयक समिति का यह सैंतीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) ने इस विषय का चयन विस्तृत जांच और संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु किया। समिति ने 22 अगस्त, 2022 को कोयला मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रमों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। तथापि, समय के अभाव के कारण, समिति अपने पिछले कार्यकाल के दौरान इस विषय से संबंधित प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं दे सकी। कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-23) ने पूर्ववर्ती समिति के अधूरे कार्य को आगे जारी रखा है और इस विषय का जांच हेतु पुनः चयन किया है। समिति को दिये मौखिक और लिखित साक्ष्य के आधार पर, इस विषय पर एक प्रतिवेदन तैयार किया गया।

3. समिति विषय की जांच करने में पूर्ववर्ती समिति द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करती है।

4. समिति ने 20.12.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, समिति द्वारा समय-समय पर यथा वांछित सामग्री/जानकारी उसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोयला मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रमों के अधिकारियों का आभार व्यक्त करती है।

6. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
20 दिसंबर, 2022
29 अग्रहायण, 1944 (शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात संबंधी
स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग - एक

क. प्रस्तावना

1.1 घरेलू मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए कोयले का आयात किया जाता है। कोयला आयात नीति के अनुसार, कोयले के आयात को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखा गया है और उपयोगकर्ता लागू शुल्क के भुगतान पर अपनी संविदात्मक कीमतों के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। देश में कोयले के आयात का रुझान नीचे तालिका में दिया गया है:-

कोयले का आयात (मिलियन टन)					
वर्ष		कोकिंग	गैर कोकिंग	कुल	वृद्धि
2006-07	वास्तविक	17.88	25.20	43.08	11.6
2007-08		22.03	27.77	49.80	15.6
2008-09		21.08	37.92	59.00	18.5
2009-10		24.63	48.63	73.26	24.2
2010-11		19.48	49.43	68.91	-5.9
2011-12		31.80	71.04	102.84	49.2
2012-13		35.56	110.23	145.79	41.8
2013-14		36.87	129.98	166.86	14.5
2014-15		43.72	168.39	212.11	27.1
2015-16		44.56	159.39	203.95	-6.8
2016-17		41.64	149.36	191.01	-6.4
2017-18		47.00	161.25	208.25	9.0
2018-19		51.84	183.51	235.35	13.0
2019-20		51.83	196.70	248.54	5.6
2020-21		51.20	164.05	215.25	-13.4
2021-22		57.16	151.77	208.93	-2.9
(अनंतिम)					
स्रोत: सीसीओ					

1.2 कोयला मंत्रालय के अनुसार, कोयला आयात 2006-07 में 43.08 मि.ट. से धीरे-धीरे बढ़कर 2014-15 में 212.11 मि.ट. तक पहुंच गया, उसके बाद अगले दो वर्षों में यह 2015-16 में 203.95

मि.ट. और 2016-17 में 191.01 मि.ट. हो गया। 2017-18 के बाद से कोयले के आयात में वृद्धि हुई है, जहां यह 2017-18 में 208.25 मि.ट. और 2019-20 में 248.54 मि.ट. और 2020-21 में 215.25 मि.ट. तक पहुंच गया। इसके अलावा 2020-21 में, भारत सरकार के महत्वाकांक्षी 'आत्मनिर्भर भारत' अधिदेश की पृष्ठभूमि में और देश में घरेलू कोयले के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, कोयला मंत्रालय/सीआईएल ने कोयले के आयात को कम करने के लिए कई कदम उठाए। इन कदमों से वित्त वर्ष 2020-21 में कोयले के आयात को 215.25 मि.ट. और 2021-22 में 2.9% की नकारात्मक वृद्धि के साथ 208.93 मि.ट. तक कम करने में मदद मिली है।

1.3 तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि आपूर्ति पक्ष पर, 2014-15 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 609.18 मि.ट. से बढ़कर 2020-21 में 716.08 मि.ट. हो गया है और 2021-22 में 8.7% की सकारात्मक वृद्धि के साथ बढ़कर 778 मि.ट. हो गया है। उत्पादन में इस वृद्धि ने कोयले के आयात को काफी हद तक नियंत्रित करने में सक्षम बनाया है। यदि 2009 और 2014 के बीच दर्ज चक्रवृद्धि मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर कोयले का आयात होता, तो यह 2019-20 तक 500 मि.ट. को पार कर जाता।

ख. कोयले का उत्पादन

1.4 जब पिछले 5 वर्षों के दौरान कोकिंग और नॉन-कोकिंग कोल के कुल उत्पादन के बारे में पूछा गया तो, कोयला मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:

पिछले 5 वर्षों के दौरान कोयले का उत्पादन			
	(मिलियन टन में)		
वर्ष	उत्पादन		
	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	कुल
2017-18	40.148	635.252	675.400
2018-19	41.132	687.586	728.718
2019-20	52.936	677.938	730.874
2020-21	44.787	671.296	716.083
2021-22	51.702	726.488	778.190

ग. कोयले की मांग और आपूर्ति

1.5 घरेलू उत्पादन अंतर को पाटने हेतु आयात सहित पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले की मांग और आपूर्ति के बारे में पूछे जाने पर, कोयला मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	कोयला मांग			घरेलू आपूर्ति			अंतर
	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	कुल	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	कुल	
2017-18	59.73	838.52	898.25	12.73	677.28	690.01	208.25
2018-19	69.50	898.64	968.14	17.66	715.13	732.79	235.35
2019-20	68.98	886.73	955.71	17.15	690.03	707.18	248.53
2020-21	60.23	845.91	906.14	9.03	681.85	690.88	215.25
2021-22	65.39	962.54	1027.93	8.23	810.77	819.00	208.93

नोट: मांग और घरेलू आपूर्ति में अंतर को कोयले के आयात से पूरा किया गया।

1.6 समिति ने देश में पिछले 3 वर्षों की क्षेत्र-वार कोयले की मांग के बारे में जानना चाहा। इस संबंध में, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है कि पिछले 8 वर्षों में देश में कोयले की मांग 3.36% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ 2014-15 में 815.88 एमटी से बढ़कर 2021-22 में 1027.93 एमटी हो गई है। वर्ष 2022-23 में कोयले की मांग में 4 से 5 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। पिछले 3 वर्षों में क्षेत्र-वार कोयले की मांग का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	पिछले 3 वर्षों में क्षेत्र-वार कोयले की मांग			
	क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22

(क)	कोकिंग कोयला	63.74	60.17	65.38
	(i) इस्पात क्षेत्र	63.74	60.17	65.38
(ख)	नॉन-कोकिंग कोयला	892.17	846.16	962.55
	(i) विद्युत (उपयोगिता)	518.30	535.45	671.70
	(ii) विद्युत (कैप्टिव)	85.15	45.79	38.16
	(iii) सीमेंट*	8.57	6.75	7.29
	(iV) इस्पात डीआरआई*	10.40	9.57	8.67
	(V) अन्य	269.75	248.60	236.73
	कुल कोयला मांग (क+ख)	955.91	906.33	1027.93

* केवल घरेलू आपूर्ति शामिल है और आयात, मद (पांच) – अन्य में शामिल किया जाता है।

1.7 कोयला मंत्रालय ने समिति को प्रस्तुत लिखित नोट यह बताया गया है कि भारत में, उच्च गुणवत्ता वाले कोयले (लो-ऐश कोल) / कोकिंग कोल की आपूर्ति सीमित है। इसलिए, इस मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए, कम राख वाले कोयले के आयात का सहारा लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यह भी देखा गया है कि इस्पात क्षेत्र की आवश्यकता मुख्य रूप से कम राख वाले कोकिंग कोल पर केंद्रित है जो भारत में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में, सीआईएल धातु उद्योग क्षेत्र को लगभग 1.7 एमटीपीए धुले हुए कोयले की आपूर्ति कर रहा है, हालांकि, सीआईएल की 2030 तक इस्पात क्षेत्र को ब्लेंडिंग प्रयोजन हेतु अपनी आपूर्ति लगभग 15 मि.ट. तक बढ़ाने की योजना है, जिसके लिए अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में सीआईएल द्वारा वॉशरीज़ विकसित की जा रही हैं। इसके अलावा, सीआईएल द्वारा इस्पात क्षेत्र को बेचने के लिए अपनी स्वयं की कोकिंग कोल वॉशरी स्थापित करने के लिए तैयार निजी ऑपरेटरों के साथ दीर्घकालिक कोकिंग कोल लिंकेज का भी पता लगाया जा रहा है। यह आंशिक रूप से केवल कोकिंग कोल के आयात को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसलिए, फिलहाल, कोकिंग कोल के आयात का प्रतिस्थापन संभव नहीं है।

1.8 साक्ष्य के दौरान, कोयला मंत्रालय के सचिव ने समिति को आगे बताया कि देश में कोकिंग कोल और ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (जीसीवी) कोयले के स्रोत अपर्याप्त हैं। इसके अलावा, विद्युत एक

प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, इसे घरेलू स्तर पर उत्पादित गैर-कोकिंग कोयले का अधिकतम हिस्सा मिलता है इसलिए कोयला क्षेत्र कोकिंग कोयले का आयात करने के लिए विवश है।

1.9 मंत्रालय ने विद्युत संयंत्रों को आयातित कोयले का डेटा दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत किया है जो निम्नवत है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोकिंग कोल	विद्युत		कुल विद्युत	गैर-विनियमित क्षेत्र	गैर कोकिंग	कुल आयात
		आयातित कोयला आधारित संयंत्र	मिश्रित कोयला आधारित संयंत्र				
	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5+6)	8 (2+7)
2016-17	41.64	46.30	19.87	66.17	83.19	149.36	191.01
2017-18	47.00	39.37	17.04	56.41	104.84	161.25	208.25
2018-19	51.84	40.29	21.37	61.66	121.85	183.51	235.35
2019-20	51.83	45.47	23.75	69.22	127.48	196.70	248.54
2020-21	51.20	35.08	10.39	45.47	118.58	164.05	215.25
2021-22	57.16	18.89	8.11	27.00	124.77	151.77	208.93
2022-23 (अप्रैल-मई 2022)	9.88	4.73	4.92	9.65	20.40	30.05	39.93
2021-22 (अप्रैल-मई 2021)	9.15	6.13	1.83	7.96	24.95	32.91	42.06
वृद्धि %	7.98	-22.81	169.07	21.25	-18.22	-8.68	-5.05
2020-21 (अप्रैल-मई 2020)	6.91	6.43	1.75	8.18	13.96	22.15	29.06
2020-21 की तुलना में 2022-	42.98	-26.45	181.07	17.90	46.14	35.71	37.44

23 में वृद्धि%							

स्रोत: सीसीओ और सीईए# अनंतिम और परिवर्तन किया जा सकता है।

समिति को यह जानकारी दी गई है कि कोयले को तापीय विद्युत संयंत्रों(टीपीपी) द्वारा भी आयात किया जा रहा है। विद्युत संयंत्र दो प्रकार के होते हैं (एक) आयातित कोयला आधारित संयंत्र और (दो) मिश्रित कोयला आधारित संयंत्र। आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्रों ने 2020-21 में 35.08 मि.ट. का आयात किया। सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए विद्युत संयंत्रों द्वारा 10.39 मि.ट. कोयले का आयात किया गया था। चालू वर्ष 2022-23 (मई,22तक) में आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्रों ने 4.73 मि.ट. का आयात किया। ये आम तौर पर तटीय संयंत्र हैं। सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए विद्युत संयंत्रों द्वारा 4.92 मि.ट. कोयले का आयात किया गया था। विद्युत संयंत्रों द्वारा आयात की उपरोक्त दोनों श्रेणी भी गैर-प्रतिस्थापन योग्य है। चालू वर्ष में, डीजीसीआईएंडएस की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-मई, 2022 के दौरान कोयले का कुल आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि (अप्रैल-मई, 2021) के दौरान 42.06 मि.ट. की तुलना में 39.93 मि.ट. था। विद्युत क्षेत्र द्वारा, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.96 मि.ट. की तुलना में आयात 9.65 मि.ट. था जिसमें 21% की वृद्धि हुई थी।

घ. कोयले के आयात को कम करने के लिए उठाए गए कदम

1.10 समिति को यह सूचित किया गया है कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए कोयला आयात का घरेलू कोयले से प्रतिस्थापन करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 158 मि.ट. कोयला आयात प्रतिस्थापन की योजना है। वर्तमान में, 15/08/2022 की स्थिति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड के पास अपनी कोयला खानों में लगभग 33.25 मि.ट. कोयले का भंडार है और विद्युत संयंत्रों के पास भी लगभग 31.27 मि.ट.कोयला भंडार है। इस प्रकार, उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त घरेलू कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

(क) अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी)

1.11 समिति को यह जानकारी दी गई है कि कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया

है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियां और बंदरगाह के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। आईएमसी की अब तक 9 बैठकें हो चुकी हैं। यह समिति प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ एक बड़े मंच पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती है ताकि उन्हें अपने संबंधित क्षेत्र के कोयला उपभोक्ताओं को कोयले के आयात को समाप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शन किया जा सके। आईएमसी के निर्देश पर, कोयले के आयात को ट्रैक करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डाटा प्रणाली विकसित की गई है। कोयले की और अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोयला आयात प्रतिस्थापन के कार्य को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड को प्रतिस्थापन योग्य कोयले के लिए 2023-24 तक शून्य कोयला आयात मिशन की योजना बनाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार, प्रतिस्थापन योग्य आयातित कोयले की संपूर्ण मांग को देश द्वारा पूरा करने की योजना है और अति आवश्यक के अलावा कोई आयात नहीं होना चाहिए। कोल इंडिया लिमिटेड को कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

1.12 जहाँ तक शून्य कोयला आयात मिशन का संबंध है, कोयला मंत्रालय के सचिव ने मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को आगे बताया कि 2019 में कोल इंडिया दिवस के दौरान माननीय कोयला मंत्री ने घोषणा की थी कि 2024 तक 1 बिलियन कोयले के उत्पादन के लक्ष्य के साथ, देश उक्त वर्ष तक आयातित प्रतिस्थापन योग्य कोयले (कोयला जो विद्युत उत्पादन के लिए आयात किया जाता है) को कम करके शून्य कर देगा।

1.13 आईएमसी की बैठकों के परिणामों के बारे में समिति के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया है कि:

- आईएमसी ने फैसला किया था कि प्रशासनिक मंत्रालय कोयला आयात प्रतिस्थापन से संबंधित मुद्दों, यदि कोई हो, को हल करने के लिए कोयला आपूर्तिकर्ता कंपनियों, कोयला ट्रांसपोर्टरों के साथ-साथ कोयला मंत्रालय के साथ अपने क्षेत्र के कोयला आयातकों के साथ नियमित रूप से जुड़ेंगे। इन बैठकों ने क्षेत्र विशिष्ट कोयले से संबंधित मुद्दों को समझने और हल करने का अवसर प्रदान किया और व्यक्तिगत कोयला उपभोक्ताओं को

घरेलू कोयला उपलब्ध कराकर उन्हें लक्षित किया। निर्णय के अनुसरण में, विद्युत मंत्रालय/सीईए, इस्पात मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) और खान मंत्रालय ने कोयला आयात के कारणों को समझने के लिए और उपभोक्ताओं को कोयले और रसद उपलब्धता के बारे में सूचित करने के लिए अपने क्षेत्र के कोयला उपभोक्ताओं के साथ बैठकें की थीं।

- कोयला आयात डाटा की तत्काल उपलब्धता में समय-अंतराल और गैर-विनियमित क्षेत्र में कोयले के आयात पर अलग-अलग जानकारी को देखते हुए, जो घरेलू आपूर्ति व्यवस्था के लिए ठोस कदम / समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को रोकता है, आईएमसी ने वाणिज्य मंत्रालय से कोयले के आयात के विश्लेषण और आयात प्रतिस्थापन के लिए उचित कदम उठाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं द्वारा कोयले के आयात का समय पर डाटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।
- आईएमसी के निर्देश पर, कोयला मंत्रालय द्वारा आयात डाटा सिस्टम को विकसित किया गया है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात को ट्रैक कर सके।
- जीएसटी/कोयला क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दे को कोयला आयात प्रतिस्थापन में एक बाधा बताया गया था। इस मुद्दे पर आईएमसी में चर्चा की गई थी जहां इसे इस्पात मंत्रालय द्वारा उठाया गया था और आईएमसी ने इस्पात मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वह प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए जीएसटी उपकर के मामले को सीधे राजस्व विभाग के साथ उठाए। इस्पात मंत्रालय ने राजस्व विभाग के साथ कोयले पर जीएसटी उपकर का मुद्दा उठाया था। कोयला मंत्रालय ने भी वित्त मंत्रालय के साथ जीएसटी उपकर का मुद्दा उठाया था।
- इस्पात मंत्रालय ने उल्लेख किया था कि कोयला आयात करने का निर्णय लेने में इस्पात उत्पादकों के लिए कोकिंग कोयले के मूल्य निर्धारण की एक प्रमुख भूमिका होती है और इस्पात निर्माता आयातित कोयले की देश में लदान मूल्य पर बचत कर रहे हैं। इसके अलावा, निकट भविष्य में कोकिंग कोल के आयात का प्रतिस्थापन व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा, इस्पात मंत्रालय द्वारा इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि स्पंज आयरन क्षेत्र द्वारा कोयले के आयात का कारण आयातित कोयले की गुणवत्ता में स्थिरता थी,

जिसके परिणामस्वरूप, स्पंज आयरन के उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में उनके संयंत्र की दक्षता में सुधार होता है।

- पोत परिवहन मंत्रालय से तटीय कोयला उपभोक्ताओं के साथ बैठकें आयोजित करने और घरेलू कोयले के परिवहन के आरएसआर मोड के लाभों की व्याख्या करने का अनुरोध किया गया था। पोत परिवहन मंत्रालय ने हितधारकों के साथ बैठक की, जहां कोयले की ढुलाई करने वाले सभी को समस्त रेल मार्गों के साथ-साथ गंतव्य बंदरगाहों के लिए रेल-सह-समुद्र मार्ग के लिए सभी शुल्कों को ध्यान में रखते हुए कोयले की आवाजाही पर तुलनात्मक लागत का पता लगाने और विद्युत संयंत्रों के साथ स्थिति साझा करने का निदेश दिया गया था।
- कोयला आयातकों के साथ जुड़ने के आईएमसी के निर्णय के परिणामस्वरूप, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत उत्पादकों के साथ बैठकें कीं और कई विद्युत संयंत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि वे कोयले का आयात नहीं करेंगे।
- संशोधित 'शक्ति' नीति का पैरा ख (viii) (क) विद्युत विनिमय के माध्यम से या अल्पावधि में विद्युत की बिक्री के लिए 1 वर्ष तक की अवधि के लिए कोयला लिंकेज की अनुमति देता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्यप्रणाली {'शक्ति' नीति के पैरा ख (viii) (क) के तहत} ने कोयला लिंकेज की अवधि को 3 महीने तक सीमित कर दिया। अतः, नीतिगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आईएमसी की बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि विद्युत मंत्रालय उक्त कार्यप्रणाली में संशोधन करने और ख (viii) (क) के अंतर्गत लिंकेज अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है ताकि विद्युत क्षेत्र में अल्पावधि बाजार में कोयले की आपूर्ति करने वाले विद्युत उत्पादकों को कोयले की उपलब्धता और निश्चितता सुनिश्चित की जा सके। विद्युत मंत्रालय ने इस सुझाव पर सहमति जताई थी।
- आईएमसी की बैठकों के अनुसरण में, एमएसएमई मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य की नामनिर्दिष्ट एजेंसियों (एसएनए) का लाभ उठाने के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र की कोयले संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एसएनए की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा था।

- सीमेंट निर्माताओं के साथ डीपीआईआईटी की चर्चा के परिणामस्वरूप, सीआईएल ने सीमेंट क्षेत्र में कोयला उपभोक्ताओं के लिए एक मैपिंग कार्य किया था, ताकि आस-पास के कोयला क्षेत्रों से प्रत्येक सीमेंट संयंत्र में कोयले की आवश्यकता का आकलन किया जा सके।

(ख) आयात प्रतिस्थापन के लिए पंजीकृत कोयला उपभोक्ता

1.14 आयात प्रतिस्थापन के इच्छुक कोयला उपभोक्ताओं की ओर से पंजीकरण हेतु अब तक अनुरोधों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने सूचित किया है कि कोयले के आयात के लिए, कोयले के आयातकों को खेप के आगमन की संभावित तिथि से 15 दिन पहले कोयला आयात प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों / व्यापारियों से संबंधित आयातकों को ट्रैक करने का अवसर भी प्रदान करता है। तथापि, किसी भी आयातक/उद्योग से कोयला आयात के प्रतिस्थापन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

1.15 समिति ने जानना चाहा कि विश्व के वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, मंत्रालय/कोयला कंपनियों द्वारा कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और कोयले के आयात पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में सूचित किया है कि सरकार ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और कोयले के आयात को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(एक) <u>नियमित निगरानी:</u> कोयला ब्लॉकों की नियमित समीक्षा करने और विकास में तेजी लाने हेतु सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है जिसमें संबंधित मेजबान राज्यों के मुख्य सचिव, सचिव (एमओईएफ और सीसी), कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) और सीएमपीडीआईएल समिति के सदस्य के रूप में हैं।

(दो) <u>खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन:</u> अधिनियम में प्रावधान है कि कैप्टिव खानों के मालिक (परमाणु खनिजों के अलावा) ऐसी रीति

में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाये और ऐसी अतिरिक्त रकम का संदाय करके खान के साथ अंतिम उपयोग संयंत्र की अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात् अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक खुले बाजार में बेच सकते हैं। यह कदम कोयला ब्लॉक आवंटितियों को कोयला उत्पादन जल्दी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है।

(तीन) <u>वाणिज्यिक कोयला खनन योजना:</u> माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 18.06.2020 को राजस्व शेयरिंग तंत्र पर आधारित वाणिज्यिक खनन की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब तक, कुल 46 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और इनमें से 27 ब्लॉकों के लिए निधान आदेश दिए जा चुके हैं। वाणिज्यिक कोयला खनन के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं, जिसमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है, अग्रिम राशि को कम किया गया है, मासिक भुगतान के खिलाफ अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों के संचालन के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल आदि शामिल है।

(चार) <u>कोयला उत्पादन की शीघ्र शुरुआत:</u> वाणिज्यिक खनन योजना के तहत, उत्पादन की निर्धारित तिथि से पहले कोयले का उत्पादन किए जाने की स्थिति में उसकी मात्रा संबंधी अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति होगी। इसके अलावा, मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) पर प्रोत्साहन दिया है। ये प्रोत्साहन आवंटियों को उत्पादन शीघ्र शुरू करने के लिए दिए जाते हैं।

(पांच) <u>सीआईएल में परित्यक्त खानों की नीलामी:</u> सीआईएल ने 30 बंद पड़ी कोयला खानों को राजस्व शेयरिंग के आधार पर फिर से खोलने की पेशकश की है।

(ग) विद्युत संयंत्रों के लिए आयात प्रतिस्थापन हेतु किए गए उपाय

1.16 समिति को सूचित किया गया है कि कोयले की कमी वाली पहले की व्यवस्था में ,विद्युत संयंत्रों की वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) मानक आवश्यकता के 90% तक सीमित थी और संयंत्रों के

लिए आयात के माध्यम से शेष आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक था। इसी तरह ,घरेलू कोयला आधारित तटीय विद्युत संयंत्रों का एसीक्यू मानक आवश्यकता के 70% तक सीमित था और इन संयंत्रों के लिए कोयला आयात के माध्यम से शेष आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक था। कोयले की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, एसीक्यू को उन मामलों में मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है, जहां एसीक्यू को या तो मानक आवश्यकता (गैर-तटीय) के 90% तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्रों) के 70% तक कम कर दिया गया था। 34,945 मेगावाट क्षमता के लगभग 79 विद्युत संयंत्र थे जिनके पास 125 मि. टन (90% एसीक्यू पर) का ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) था और जो 1.39 मि.टन तक एफएसए बढ़ा सकते थे। इसी प्रकार, 6600 मेगावाट क्षमता के लगभग 5 तटीय विद्युत संयंत्र थे, जिनमें लगभग 19.7 मि. टन (मानक आवश्यकता के 70% पर) एफएसए था और वे इसे लगभग 29.5 मि. टन तक बढ़ा सकते थे। इस प्रकार, आयातित कोयले पर एफएसए वाले विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता कम हो गई थी।

(घ) सीआईएल द्वारा आयात प्रतिस्थापन के लिए उठाए गए कदम:

1.17 मंत्रालय ने बताया है कि सीआईएल ने उपभोक्ताओं को घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ाने और कोयले के आयात को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किये हैं और घरेलू कोयले पर निर्भरता, के परिणामस्वरूप 'आत्मनिर्भर भारत 'के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

(एक) एफएसए के तहत आपूर्ति का न्यूनतम सुनिश्चित स्तर एसीक्यू के 75% से बढ़ाकर 80% कर दिया गया है :वर्ष 2020- 21और 2021-22 के लिए आपूर्ति के न्यूनतम सुनिश्चित स्तर को वार्षिक अनुबंध मात्रा (एसीक्यू) के 75% से बढ़ाकर 80% करने का निर्णय लिया गया है। यह प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के उच्च स्तर पर काम करने वाले और अधिक कोयले की आवश्यकता वाले विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले का उच्च स्तर सुनिश्चित करेगा।

(दो) विद्युत संयंत्रों के लिए एसीक्यू में वृद्धि ,मानक आवश्यकता के 100% पर एलओए जारी किया गया है ,जो दूरदराज के संयंत्रों के लिए 90% और तटीय विद्युत संयंत्रों के लिए 70% है।

(तीन) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भी एफएसए के तहत विद्युत क्षेत्र के लिए कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन की छूट; एफएसए में एसीक्यू के 90% से अधिक की आपूर्ति के बेहतर स्तर के लिए प्रोत्साहन के रूप में कोयला कंपनियों को कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन (पीआई) के भुगतान का प्रावधान है।

(चार) विद्युत और गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई मियादी एलसी सुविधा: लिंकेज नीलामी मार्ग के तहत विद्युत क्षेत्र और गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) उपभोक्ताओं के साथ एफएसए के पास अपरिवर्तनीय रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट(आईआरएलसी) के माध्यम से अग्रिम भुगतान या भुगतान के प्रावधान थे। कोयला खपत करने वाले क्षेत्रों के सामने आने वाली कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए और लिक्विडिटी की कमी को दूर करने के लिए, भुगतान के लिए मियादी एलसी पद्धति की भी अनुमति दी गई है, जिससे उपभोक्ताओं को अपने बैंकरों से ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

(पाँच) सड़क से रेल और रेल से सड़क मार्ग में परिवर्तन के लिए उपभोक्ताओं को विकल्प की सुविधा: उन उपभोक्ताओं को सहमति प्रदान की गई है जिन्होंने सड़क से रेल तक परिवहन के साधन को स्थानांतरित करने की मांग की है।

(छह) 30 वर्षों तक की अवधि के लिए गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज के कार्यकाल में कोयले की वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ड.) कोकिंग कोल/नॉन कोकिंग कोल का उपयोग करने वाले उद्योग

1.18 यह पूछे जाने पर कि कौन से अन्य उद्योग आयातित गैर-कोकिंग कोयले का उपयोग कर रहे हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए मंत्रालय/कोयला कंपनियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया है कि ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत कोयले का आयात होने के कारण, कोयला खपत करने वाले उद्योग / विद्युत संयंत्र आर्थिक और संभार तंत्र को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार कोयले का आयात करते हैं। आयातित कोकिंग/नॉन-कोकिंग/थर्मल कोयले का उपयोग करने वाले प्रमुख उपभोक्ता उद्योग लोहा और इस्पात, विद्युत, सीमेंट, एल्युमिनियम, रसायन और उर्वरक आदि हैं। आईसीबी विद्युत संयंत्रों

के लिए कोयले के आयात के अलावा, विद्युत क्षेत्र भी सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए कोयले का आयात करता है। सीमेंट, स्टील, एल्युमीनियम आदि जैसे क्षेत्र उच्च जीसीवी कोयले का आयात करते हैं।

गैर-लिंक्ड उपभोक्ताओं की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- सीआईएल ने अंत्य उपयोग संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शक्ति/एनआरएस लिंकेज नीलामी योजनाओं के तहत विद्युत और गैर-विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लिंकेज प्रदान किया है।
- देश भर में कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए नियमित ई-नीलामी आयोजित की जाती है।
- नई खानों की खोज और उत्पादन के माध्यम से कोकिंग कोल उत्पादन बढ़ाने के लिए कोकिंग कोल मिशन शुरू किया गया है ।
- इसके अलावा, आईसीबी विद्युत संयंत्रों को भारतीय कोयले में बदलने से घरेलू कोयले का उपयोग संभव होगा।

1.19 यह पूछे जाने पर कि क्या कम राख वाले कोयले/कोकिंग कोयले का आयात पूरी तरह से अपरिहार्य है या क्या कोई अन्य विकल्प उपलब्ध है, मंत्रालय ने बताया है कि इस्पात क्षेत्र को मुख्य रूप से कम राख वाले उच्च ग्रेड कोकिंग कोयले की आवश्यकता होती है जो देश में बहुत सीमित है। देश में प्राइम कोकिंग कोल का भी बहुत कम उत्पादन होता है जिससे आयात कोकिंग कोल और प्राइम कोकिंग कोल गैर-प्रतिस्थापन योग्य हो जाते हैं। हालांकि, इस्पात क्षेत्र को बड़े पैमाने पर घरेलू धुले हुए कोकिंग कोल/मेटलर्जिकल कोकिंग कोल की आपूर्ति सम्मिश्रण के उद्देश्य से की जाती है, लेकिन मात्रा मांग की तुलना में कम है। गैर-कोकिंग कोयले के आयात के संबंध में, आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) द्वारा आयातित थर्मल कोयला विद्युत संयंत्रों को आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए उनके बॉयलर की विशिष्ट कोयले की आवश्यकता के कारण प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के अलावा, कई उद्योग अपने संयंत्रों के लिए उच्च जीसीवी (6000 से अधिक जीसीवी) और कम राख वाले कोयले का भी आयात करते हैं, जो घरेलू उत्पादन की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण प्रतिस्थापन योग्य नहीं है।

1.20 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय द्वारा कम राख वाले कोयले/कोकिंग कोयले के संबंध में कोई अनुसंधान एवं विकास परियोजना शुरू की गई है और यदि हां, तो परियोजना का विस्तृत परिणाम क्या है, मंत्रालय ने बताया है कि "ब्लास्ट फर्नेस कोक बनाने के लिए निम्न रैंक और निम्न अस्थिर उच्च रैंक वाले भारतीय कोकिंग कोयले का प्रभावी उपयोग" नामक एक आर एंड डी परियोजना 2013 में सीआईएल आर एंड डी बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी।

- इस परियोजना के तहत, मुरैडीह क्षेत्र से कोयला, सीम V/VI/VII संयुक्त (कम अस्थिर मध्यम कोकिंग कोल) और उत्तरी उरीमारी क्षेत्र, अरगडा सीम (खराब कोकिंग/नॉन-कोकिंग) को विभिन्न अनुपातों में कोक बनाने में 10% तक मिश्रण के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त पाया गया।

- यह प्रस्तावित किया गया था कि एलवीएमसी कोयले की उपयोगिता से कम से कम 3-4 मिलियन टन कोकिंग कोल का आयात कम हो जाएगा।

(च) कोयले के आयात में गिरावट के कारण विदेशी मुद्रा की बचत

1.21 समिति ने जानना चाहा कि यदि अधिकतम कोयला आयात प्रतिस्थापन प्राप्त किया जाये तो कितना वित्तीय लाभ हो सकता है, मंत्रालय ने बताया है कि हाल के वर्षों में, कोयले के आयात में 2019-20 में 248.53 मि.ट. से 2021-22 में 208.93 मि.ट. तक की गिरावट का रुझान देखा गया है। इसके अलावा, कुल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में थर्मल पावर की हिस्सेदारी में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में 1% की वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि घरेलू कोयले के उपयोग में वृद्धि। इस प्रकार, 2019-20 और 2021-22 के बीच आयात अंतर को चालू वर्ष के लिए आयात की प्रतिस्थापन क्षमता के संकेत के रूप में मानते हुए, 2022 की पहली तिमाही के दौरान, औसत कोयले की कीमत पर लगभग 12488 मिलियन अमरीकी डालर की बचत होगी।

(छ) विशेष स्पॉट ई-नीलामी योजना

1.22 यह पूछे जाने पर कि विशेष स्पॉट ई-नीलामी योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यह देश में कोयला आयात प्रतिस्थापन को कैसे बढ़ावा देगा, मंत्रालय ने बताया है कि आयातकों के लिए

विशेष स्पॉट ई-नीलामी योजना सीआईएल द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- भागीदारी के लिए पात्रता- कोई भी भारतीय खरीदार जिसमें व्यापारी शामिल हैं जिन्होंने चालू वर्ष में या/और पिछले दो वित्तीय वर्षों में किसी भी समय कोयले का आयात किया है।
- गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए कोयले के अधिसूचित मूल्य पर अतिरिक्त मूल्य के साथ या बिना आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाता है।
- लंबी उठान अवधि यानी 3/6/12 महीने के लिए।

आयातकों के लिए विशेष स्पॉट ई-नीलामी योजना के तहत नीलामी 2021-22 और 2020-21 के दौरान, सीआईएल/कोयला कंपनियों द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें बोलीदाताओं द्वारा 9.8 मि.टन कोयले की बुकिंग की गई थी।

हालांकि, उपरोक्त ई-नीलामी योजना सहित कोयला कंपनियों की सभी विभिन्न ई-नीलामी विंडो को अब एक साथ जोड़ दिया गया है और अब से कोयला कंपनियों की कोयला ई-नीलामी एकल एकीकृत विंडो के तहत आयोजित की जाएगी। सभी कोयला उपभोक्ताओं अर्थात विद्युत क्षेत्र, एनआरएस, व्यापारी आदि अब कोयले की खरीद के लिए ई-नीलामी की एकल खिड़की के तहत भाग लेंगे।

(ज) कोयले का वाणिज्यिक खनन

1.23 समिति ने राज्यों के लिए राजस्व सृजन और रोजगार सृजन के रूप में कोयले के आयात को कम करने में सरकार द्वारा शुरू किए गए वाणिज्यिक खनन की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानना चाहा है। इस संबंध में, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया है कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 18.06.2020 को राजस्व शेयरिंग तंत्र पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी शुरू की गई थी। अब तक, कुल 64 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और इनमें से 45 ब्लॉकों के लिए निधान आदेश निष्पादित किया जा चुका है। वाणिज्यिक कोयला खनन के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं, जहां कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति, अग्रिम राशि को कम करना, मासिक भुगतान के खिलाफ अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों के संचालन के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता मानदंड, खानों, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल उपलब्ध है। इसके अलावा, वाणिज्यिक खनन योजना के तहत, उत्पादन की निर्धारित तिथि से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति होगी। इसके अलावा, मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) पर प्रोत्साहन दिया है। ये प्रोत्साहन आवंटियों को उत्पादन शीघ्र शुरू करने के लिए दिए गए हैं। वाणिज्यिक खानों से कोयले का उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है और वाणिज्यिक खनन के लिए अधिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी से कोयला उत्पादन में और वृद्धि होगी। राजस्व-शेयरिंग के आधार पर वाणिज्यिक खानों के संचालन से संबंधित राज्यों को राजस्व प्राप्त होगा।

(झ) कोयला उत्पादन का मशीनीकरण

1.24 यह पूछे जाने पर कि देश में कोयला उत्पादन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के बाद कोयले का उत्पादन कितना बढ़ेगा और इससे कोयले के आयात की मांग को कम करने में कैसे मदद मिलेगी, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया है कि कोयला कंपनियों द्वारा खनन की मैनुअल पद्धति को खनन की अत्यधिक मशीनीकृत और अर्ध-मशीनीकृत प्रणाली में इतना बदल दिया गया है कि इसका उत्पादन काफी बढ़ गया है। कोयले का उत्पादन, जो 1975 में लगभग

100 मि.टन का मामूली आंकड़ा था, 2021-22 में बढ़कर 778 मिट हो गया। कोयला कंपनियां खनन की उत्पादकता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर भूमिगत (यूजी) और खुले मुहाने वाली (ओसी), दोनों खानों में मशीनीकरण को अपना रही हैं।

(एक) भूमिगत (यूजी) खानों का मशीनीकरण:

यूजी खानों का बड़ा हिस्सा पूर्व-राष्ट्रीयकरण अवधि से विरासत में मिला है जो ज्यादातर अत्यधिक श्रम उन्मुख थे। राष्ट्रीयकरण के बाद से, यूजी खानों को धीरे-धीरे अर्ध-मशीनीकृत खानों में परिवर्तित किया गया और जहां कहीं भी संभव हुआ, तकनीकी-आर्थिक रूप से मशीनीकृत खानों में परिवर्तित किया गया। जहां भी भू-खनन की स्थिति अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, वहां मैकेनाइज्ड मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी (एमपीटी) की शुरुआत की जा रही है। अधिक पावर्ड सपोर्ट लॉन्ग वॉल (पीएसएलडब्ल्यू) तकनीक और कंटीन्यूअस माइनर्स (सीएम) को तैनात किया जा रहा है।

भूमिगत खानों में, मुख्य रूप से कोयला निकालने/लदान करने की प्रणाली, ड्रिलिंग, स्ट्राटा सपोर्ट सिस्टम, कोयला निकासी प्रणाली आदि के मशीनीकरण पर जोर दिया जाता है। कोयला उत्पादक कंपनियां यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग शुरू करके मैनुअल ड्रिलिंग को जल्दी से समाप्त कर रही हैं और जहां भी संभव हो, परिवहन की ढुलाई प्रणाली को कन्वेयर सिस्टम के पक्ष में समाप्त कर रही हैं।

(दो) खुले मुहाने वाली (ओसी) खानों का मशीनीकरण:

मशीनीकरण की शुरूआत करके खानों की उत्पादकता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

ओसी खानों ने शॉवल-डम्पर संयोजन, ड्रैगलाइन या सरफेस माइनर्स (एसएम) का उपयोग करके खनन की मशीनीकृत प्रणाली को अपनाया है।

उच्च क्षमता वाली खानें (क्षमता> 10 एमटीवाई) अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए भारी मशीनीकरण पद्धति को अपना रही हैं।

गेवरा ओसी विस्तार, दीपका ओसी और कुसमुंडा ओसी जैसी अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं में 240 टी रियर डम्पर के साथ 42 सह शॉवल जैसे उच्च क्षमता वाले एचईएमएम लगाए गए हैं।

प्रचालन दक्षता में सुधार और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए खुले मुहाने वाली खानों में सरफेस माइनर्स (एसएम) को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। वर्तमान में, सीआईएल की सहायक कंपनियों की लगभग 41 खानों में लगभग 140 एसएम का उपयोग किया जा रहा है। 2021-22 के दौरान, सीआईएल के कुल उत्पादन का लगभग 50% भूतल खनिकों के माध्यम से उत्पादित किया गया है और बाद के वर्षों में इसके और बढ़ने की संभावना है।

इसके अलावा, प्रचालन का डिजिटलीकरण भी शुरू किया गया है। आईटी पहलों के भाग के रूप में, सीआईएल अपनी सभी सहायक कंपनियों में दो चरणों में ईआरपी पहले ही आरंभ कर चुका है।

ञ. कोकिंग कोल मिशन

1.25 समिति को सूचित किया गया है कि मंत्रालय द्वारा कोकिंग कोल मिशन की शुरूआत की गई है जिसका उद्देश्य 2020-21 में कोकिंग कोल का उत्पादन 45.00 एमटी से बढ़ाकर 2029-30 में 140 एमटी करना है जिसमें सीआईएल से 105 एमटी शामिल है। सीएमपीडीआई द्वारा कोकिंग कोल ब्लॉकों के अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस्पात क्षेत्र को धुले हुए कोकिंग कोल की आपूर्ति, जो 2020-21 में 4.42 एमटी थी, से बढ़ाकर 2029-30 तक 25.33 एमटी करने की भी योजना है। इसमें सेल और टाटा स्टील से प्रस्तावित 8.00 एमटी धुले हुए कोयले का उत्पादन शामिल है।धुले हुए कोकिंग कोल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कोल वाशरीज स्थापित की गई हैं।

ट. आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम:

1.26 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:

• विस्फोट मुक्त खनन तकनीकों को अपनाना।

• फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में खानों से लेकर लोडिंग पॉइंट्स तक मैकेनिकल कोल हैंडलिंग को अपनाना।

• गुणवत्ता आश्वासन के लिए वैश्विक स्तर की प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष एजेंसियों की नियुक्ति।

• सहायक कंपनियों में एनएबीएल प्रत्यायन के लिए चयनित 58 प्रयोगशालाओं में से 57 प्रयोगशालाएं एनएबीएल प्रत्यायित हैं और शेष 1 प्रयोगशाला का प्रत्यायन प्रक्रियाधीन है।

• प्रत्येक सहायक कंपनी की 5 उच्च उत्पादक खानों की गहन गुणवत्ता निगरानी।

• भूमिगत खानों में अनुमत भू-खनन शर्तों के तहत निरंतर खनिकों की तैनाती।

• खुले मुहाने वाली खानों में कोयला उत्पादन के लिए सतही खनिकों के उपयोग में वृद्धि से विस्फोट मुक्त चयनात्मक खनन की आवश्यकता होती है जिससे बेहतर गुणवत्ता और समान आकार का कोयला उत्पादन होता है।

• जहां कहीं आवश्यक हो, कोयले को आकार देने की क्षमता बढ़ाने के लिए मोबाइल क्रशर का उपयोग।

ठ. कोयले के मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

1.27 कोयले के मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में समिति द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्रालय ने बताया है कि कोयला कंपनियां अर्थव्यवस्था में, मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र में मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव को देखते हुए उचित सीमा के भीतर कोयले की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही हैं। इन उपायों में कामगार और मशीन का बेहतर उपयोग, गुणवत्ता, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, तकनीकी प्रगति के साथ-साथ गैर-आवश्यक वस्तुओं पर खर्च कम करना शामिल है।

ङ. विदेशों में कोयला ब्लॉकों का अधिग्रहण

1.28 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर की कि क्या विदेशों में कोयला ब्लॉकों के अधिग्रहण की दिशा में अब तक कोई प्रयास किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा प्रस्तुत करें, मंत्रालय ने बताया है कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अंतरराष्ट्रीय सहायक कंपनी कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा के माध्यम से वर्ष 2009 में मोजाम्बिक गणराज्य में कोयला ब्लॉकों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस प्राप्त किया था। हालांकि, विस्तृत अन्वेषण करने के बाद, भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और खनन क्षमता रिपोर्ट में पाया गया कि आवंटित ब्लॉकों में कोयले की गुणवत्ता घटिया थी और निष्कर्षण व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक था। इसके बाद, सीआईएल के निदेशक मंडल के अनुमोदन पर, वर्ष 2016 में पूर्वेक्षण लाइसेंस मोज़ाम्बिक गणराज्य की सरकार को सौंप दिए गए थे।वर्तमान में, सीआईएल विदेशों में कोयला परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कोई पहल नहीं कर रही है।

भाग – दो

समिति की टिप्पणियाँ / सिफारिशें

कोयले के आयात की तुलना में घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देना

1. समिति नोट करती है कि घरेलू मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए कोयले का आयात किया जाता है। कोयला आयात नीति के अनुसार, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखा गया है और उपभोक्ता लागू शुल्क के भुगतान पर अपनी संविदात्मक कीमतों के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। समिति यह भी नोट करती है कि कोयले का आयात, जो 2014-15 में 212.11 मिलियन टन (एमटी) के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया था, अगले दो वर्षों में घटकर 2015-16 में 203.95 एमटी और 2016-17 में 191.01 एमटी रह गया। कोयले के आयात में 2017-18 के बाद से फिर से वृद्धि का रुझान देखा गया है जब यह 208.25 एमटी तक पहुंच गया था। 2018-19 और 2019-20 में यह क्रमशः 235.35 एमटी और 248.54 एमटी हो गया। हालांकि, सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प की पृष्ठभूमि में, कोयला मंत्रालय/सीआईएल ने देश में घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाकर कोयले के आयात को कम करने के लिए कई कदम उठाए। इन कदमों के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2020-21 में 215.25 एमटी और 2021-22 में 2.9% की नकारात्मक वृद्धि के साथ 208.93 एमटी कोयले के आयात को कम करने में मदद मिली है। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े 2021-22 के लिए कोयले के आयात में नकारात्मक वृद्धि का संकेत देते हैं, जो आयातित कोयले पर देश की निर्भरता को कम करने और घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुरूप हैं। कोयले के आयात को कम करने के लिए कोयला

मंत्रालय/सीआईएल द्वारा किए गए इन प्रयासों की सराहना करते हुए समिति इस बात पर जोर देती है कि कोयला मंत्रालय/सीआईएल को कम आयात सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।

<u>सीआईएल और निजी क्षेत्र की कंपनियों की कोल वाशरियां</u>

2. समिति पाती है कि पिछले 8 वर्षों में 3.36 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से देश में कोयले की मांग बढ़ी है, जो वर्ष 2014-15 में 815.88 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 1027.93 मिलियन टन हो गई है। वर्ष 2022-23 में कोयले की मांग में 4-5 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले की क्षेत्रवार मांग क्रमशः 60.17 मिलियन टन और 846.16 मिलियन टन थी जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले की मांग क्रमश 65.38 मिलियन टन और 962.55 मिलियन टन थी। समिति को यह जानकारी दी गई है कि देश में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले (कम राख वाले कोयले)/कोकिंग कोल की आपूर्ति सीमित है। इसलिए, इस मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने हेतु कम राख वाले कोयले के आयात का सहारा लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। समिति यह भी पाती है कि इस्पात क्षेत्र की आवश्यकता मुख्य रूप से कम राख वाले कोकिंग कोल की ओर केंद्रित है जो देश में उपलब्ध नहीं है समिति को बताया गया है कि वर्तमान में सीआईएल मेटलर्जिकल क्षेत्र को लगभग 1.7 एमटीपीए प्रक्षालित (वाष्ड) कोयले की आपूर्ति कर रहा है। तथापि, सीआईएल की योजना वर्ष 2030 तक इस्पात क्षेत्र में अपनी आपूर्ति को सम्मिश्रण के उद्देश्य से लगभग 15 एमटी तक बढ़ाने की है, जिसके लिए सीआईएल द्वारा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर निजी क्षेत्र की भागीदारी से कोल वाशरियों

को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा, इस्पात क्षेत्र को बेचने के लिए स्वयं की कोकिंग कोल वाशरी स्थापित करने हेतु तैयार निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए सीआईएल द्वारा दीर्घकालिक कोकिंग कोल लिंकेज का भी पता लगाया जा रहा है। हालांकि, समिति यह महसूस करती है कि सीआईएल द्वारा उठाए गए कदम कोकिंग कोल के आयात को कम करने हेतु सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, इसलिए समिति चाहती है कि सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियों की कोल वाशरियों की स्थापना में आगे हुई प्रगति से उसे अवगत कराया जाए।

<u>स्थानापन्नयोग्य कोयले के आयात को कम करना</u>

3. समिति नोट करती है कि कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम्एसएमई), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि (सीईए), कोयला कंपनियों और बंदरगाहों के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं आईएमसी के दिशानिर्देश पर कोयले के आयात को ट्रैक करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डेटा प्रणाली विकसित की गई है। समिति कोयले के आयात को कम करने हेतु घरेलू कोयले की बढ़ी हुई आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे गंभीर प्रयासों की सराहना करती है। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय द्वारा समिति को बताया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड वर्ष 2023-24 तक प्रतिस्थापन योग्य कोयले के शून्य कोयला आयात मिशन के लिए प्रयास कर रहा है। समिति आशा करती है कि 1 बिलियन टन के बढ़े हुए कोयला उत्पादन लक्ष्य के साथ, उस कोयले का आयात नहीं होना चाहिए जो घरेलू कोयले के उत्पादन से प्रतिस्थापन योग्य है और आईएमसी के माध्यम

से सभी उपभोक्ताओं को कोयले का आयात न करने और घरेलू स्तर पर उत्पादित कोयले का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। समिति चाहती है कि उसे कोयले के आयात को कम करने तथा घरेलू स्तर पर उत्पादित कोयले की खपत को बढ़ावा देने में आईएमसी द्वारा प्राप्त उपलब्धियों से अवगत कराया जाए।

4. समिति नोट करती है कि लोहा और इस्पात, बिजली, सीमेंट, एल्यूमीनियम, रसायन और उर्वरक आदि आयातित कोकिंग/नॉन-कोकिंग/थर्मल कोयले का उपयोग करने वाले प्रमुख उपभोक्ता उद्योग हैं। कोयला आधारित (आईसीबी) ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले के आयात के अलावा, विद्युत क्षेत्र भी सम्मिश्रण के उद्देश्य से कोयले का आयात करता है। सीमेंट, स्टील, एल्युमीनियम आदि जैसे क्षेत्र हाई ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (जीसीवी) के कोयले का आयात करते हैं। समिति को बताया गया है कि इस्पात क्षेत्र को मुख्य रूप से उच्च श्रेणी के कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है जिसमें राख की मात्रा कम होती है और कोयले की यह किस्म देश में बहुत कम है। इसके अलावा, देश में प्राइम कोकिंग कोल का भी बहुत कम उत्पादन होता है, जिससे कोकिंग कोल और प्राइम कोकिंग कोल का आयात गैर-प्रतिस्थापन योग्य हो जाता है। समिति इस बात से प्रसन्न है कि घरेलू उद्योगों में प्रतिस्थापित किए जा सकने वाले कोयले के आयात को शून्य स्तर पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं इसके साथ ही, कोयला उत्पादन में वृद्धि से खनन क्षेत्र में लोगों के लिए अधिक रोजगार सृजित होंगे। इस प्रकार, सड़क और रेल नेटवर्क के विकास के माध्यम से न केवल खानों के आसपास रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि उक्त क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। समिति चाहती है कि उसे कोयला कंपनियों द्वारा अन्वेषित/विकसित किए जा रहे नए खनन स्थलों से अवगत कराया जाए समिति यह भी सिफारिश करती है कि आवश्यक पर्यावरण और वन मंजूरी प्राप्त करने के बाद इन क्षेत्रों में खनन शुरू

करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाए और समिति को अगले तीन वर्षों के लिए प्रस्तावित नए खनन क्षेत्र से अवगत कराया जाए।

<u>स्पेशल स्पॉट ई-ऑक्शन स्कीम</u>

5. समिति पाती है कि सीआईएल द्वारा 2020 में आयातकों के लिए शुरू की गई स्पेशल स्पॉट ई-ऑक्शन स्कीम समेत कोयला कंपनियों की विभिन्न ई-नीलामी विंडो को अब क्लब कर दिया गया है और इसके बाद कोयला कंपनियों द्वारा ई-नीलामी सिंगल यूनिफाइड विन्डो के तहत आयोजित की जाएगी। अब सभी कोयला उपभोक्ता अर्थात बिजली क्षेत्र, गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस), व्यापारी आदि कोयले की खरीद के लिए ई-नीलामी के सिंगल विन्डो के तहत भाग लेंगे। कोयला मंत्रालय के अनुसार, इस योजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं, भागीदारी के लिए पात्रता - व्यापारियों सहित कोई भी भारतीय खरीदार जिसने चालू वर्ष या/और पिछले दो वित्तीय वर्षों में किसी भी समय कोयले का आयात किया हो; आरक्षित मूल्य गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए कोयले के अतिरिक्त अधिसूचित मूल्य के साथ या उसके बिना; और लॉन्गर लिफ्टिंग पीरियड यानी 3/6/12 महीने के लिए तय किया जाता है। समिति आशा करती है कि इस कदम से प्रयोक्ता उद्योगों को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और सभी उपभोक्ताओं को सही कीमत पर कोयला खरीदने का मौका मिलेगा। समिति को पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में आयात आधारित उद्योगों की बढ़ी भागीदारी के कारण विदेशी मुद्रा में हुई बचत से अवगत कराया जाए।

<u>कोयले का वाणिज्यिक खनन</u>

6. समिति नोट करती है कि कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, राजस्व साझाकरण तंत्र संबंधी

वाणिज्यिक खनन की नीलामी 18.06.2020 को शुरू की गई थी। अब तक, 64 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इनमें से 45 ब्लॉकों के लिए निहित आदेश कार्यान्वित किया जा चुका है। कोयला मंत्रालय के अनुसार, वाणिज्यिक कोयला खनन के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं जिसमें कोयले की उपयोगिता पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है, अग्रिम राशि कम की गई है, मासिक भुगतान की तुलना में अग्रिम राशि के समायोजन, कोयला खानों के प्रचालन के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने हेतु उदार दक्षता पैरामीटर अपनाने, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, आटोमेटिक रूट के माध्यम से 100% एफडीआई और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के आधार पर राजस्व साझाकरण मॉडल की बात की गई है। इस तथ्य की सराहना करते हुए कि वाणिज्यिक खनन योजना के तहत, उत्पादन की निर्धारित तिथि से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी, समिति यह भी पाती है कि मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन की स्वीकृति दी है (अंतिम प्रस्ताव पर 50%)। समिति महसूस करती है कि ये प्रोत्साहन न केवल आवंटियों को कोयले का शीघ्र उत्पादन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि जब इन कदमों को गंभीरता से लागू किया जाएगा तो वे कोयले के घरेलू उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण कोयले के आयात को भी कम कर देंगे। समिति आशा करती है कि मंत्रालय आने वाले वर्षों के दौरान राजस्व साझेदारी के आधार पर और अधिक खानों की नीलामी करेगा और इस क्षेत्र में सार्वजानिक / निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा। समिति इस संबंध में सरकार की कार्य योजना से अवगत होना चाहती है।

खानों का मशीनीकरण

7. समिति पाती है कि कोयला कंपनियों को अपने कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर खनन की मैन्युअल विधि को खनन की अत्यधिक मशीनीकृत और अर्ध-मशीनीकृत प्रणाली में बदल दिया गया है, जो वर्ष 1975 में लगभग 100 एमटी था, वह वर्ष 2021-22 में बढ़कर 778 एमटी हो गया। कोयला कंपनियां उत्पादकता बढ़ाने और खनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर भूमिगत (यूजी) और खुले मुहाने वाली (ओसी) खान, दोनों का मशीनीकरण कर रही हैं। समिति समझती है कि खनन प्रक्रिया का मशीनीकरण इसे और अधिक लागत प्रभावी बना देगा और उत्पादकता में भी बहुत वृद्धि करेगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी खानों में नई खनन तकनीक उपलब्ध हों और जहां कहीं भी निजी कंपनियां नई तकनीक शुरू करने में अनिच्छुक हों, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कंपनियां न केवल श्रमिकों की सुरक्षा के लिए, बल्कि उत्पादन बढ़ाने के लिए भी नई तकनीकें अपनाए।

कोकिंग कोल मिशन

8. समिति नोट करती है कि कोयला मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 में 45.00 एमटी के कोकिंग कोल उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 2029-30 में 140 एमटी करने के लिए कोकिंग कोल मिशन शुरू किया गया है, जिसमें सीआईएल से 105 एमटी उत्पादन शामिल है। सीएमपीडीआई द्वारा कोकिंग कोल ब्लॉकों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समिति यह नोटकर प्रसन्न है कि कोकिंग कोल मिशन के तहत सरकार द्वारा अगले 6-7 वर्षों के भीतर कोकिंग कोल के उत्पादन में लगभग 211% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समिति वर्ष 2029-30

तक 140 मिलियन टन कोकिंग कोल के उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई वर्ष-वार परिप्रेक्ष्य योजना से अवगत होना चाहती है।

9. इस्पात क्षेत्र को प्रक्षालित कोकिंग कोयले की आपूर्ति को वर्ष 2020-21 के 4.42 एमटी से बढ़ाकर वर्ष 2029-30 तक 25.33 एमटी करने की सरकार की योजना के संबंध में, समिति पाती है कि इसमें सेल और टाटा स्टील से प्रस्तावित 8.00 एमटी प्रक्षालित कोयला उत्पादन शामिल है। प्रक्षालित कोकिंग कोयले के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक कोयला वाशरियों की स्थापना की गई है। समिति सिफारिश करती है कि एनएमडीसी लिमिटेड, केआईओसीएल लिमिटेड और आरआईएनएल इत्यादि जैसे अन्य पीएसयू के साथ भी कोयला वाशरी स्थापित करने का चलन जारी रहना चाहिए ताकि देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। समिति इस दिशा में अब तक किए जा रहे ठोस प्रयासों से अवगत होना चाहती है।

<u>कोयले का मूल्य निर्धारण</u>

10. समिति पाती है कि कोयला कंपनियां अर्थव्यवस्था पर, मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र में मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव को देखते हुए कोयले की कीमतों को उचित सीमा के भीतर रखने के लिए विभिन्न उपाय करती रही हैं। इन उपायों में बेहतर मानव और मशीन उपयोगिता, गुणवत्ता, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, प्रौद्योगिकीय विकास के साथ-साथ गैर-आवश्यक वस्तुओं पर व्यय को कम करना शामिल है। मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति, मंत्रालय से इस संबंध में विशेष प्रयास करने की सिफारिश करती है। समिति यह भी चाहती है कि सरकार को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ रेल मालभाड़ा प्रभारों और पोर्ट हैंडलिंग प्रभारों

के युक्तिकरण का प्रयास करना चाहिए। समिति देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में विद्युत संयंत्रों/अन्य उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले कोयले की कम कीमत सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय/कोयला कंपनियों द्वारा उठाए गए इन कदमों से भी अवगत होना चाहती है।

<u>विदेशी क्षेत्र में कोयला ब्लॉकों का अधिग्रहण</u>

11. समिति नोट करती है कि वर्तमान में सीआईएल किसी भी विदेशी कोयला ब्लॉक का अधिग्रहण नहीं कर रही है। समिति समझती है कि मोज़ाम्बिक में कोयला ब्लॉकों का अधिग्रहण लागत प्रभावी नहीं था और संभावित लाइसेंस वर्ष 2016 में मोज़ाम्बिक गणराज्य की सरकार को वापस कर दिए गए थे। लेकिन समिति महसूस करती है कि सीआईएल अभी भी विस्तृत अध्ययन और विशेष रूप से कम राख वाले कोकिंग कोयले के विश्लेषण के बाद विदेशी क्षेत्र में कोयला ब्लॉकों का अधिग्रहण कर सकती है, जो देश में बहुतायत में नहीं पाया जाता है और आयात ही एकमात्र विकल्प बचता है। समिति का दृढ़ मत है कि इससे न केवल आयात कम होगा, बल्कि विदेशों में खनन के नए रास्ते भी खुलेंगे। देश में मौजूदा कोयला संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, समिति चाहती है कि कोयला मंत्रालय/सीआईएल विदेशों में कोयला ब्लॉकों के अधिग्रहण के बारे में पता लगाए। समिति इस संबंध में किसी भी घटनाक्रम से अवगत होना चाहती है।

नई दिल्ली;
<u>20 दिसंबर, 2022</u>

29 अग्रहायण, 1944 (शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात
संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध – एक

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की सोमवार, 22 अगस्त, 2022 को समिति कक्ष सं. 2, ब्लॉक-ए, प्रथम तल, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक 1130 बजे से 1300 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री राकेश सिंह - सभापति

लोक सभा

2. श्री सौमित्र खान
3. श्री अजय निषाद
4. श्रीमती रीती पाठक
5. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
6. श्री अरुण साव
7. श्री पशुपति नाथ सिंह
8. श्री सुनील कुमार सिंह
9. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती

राज्य सभा

10. डॉ. प्रशांत नन्दा
11. श्री दीपक प्रकाश

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. श्री अरविंद शर्मा - निदेशक

3. श्रीमती सविता भाटिया - उप सचिव

साक्षी

कोयला मंत्रालय

1. श्री अनिल कुमार जैन - सचिव
2. श्री विनोद कुमार तिवारी - अपर सचिव
3. श्री एम. नागाराजू - अपर सचिव
4. श्रीमती विस्मिता तेज - संयुक्त सचिव
5. श्री एच.के. हाजोंग - आर्थिक सलाहकार
6. श्री मुकेश चौधरी - निदेशक

सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रम

7. श्री बी. वीरा रेड्डी - निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने "कोयले का आयात – प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा" विषय पर मौखिक साक्ष्य लेने हेतु आयोजित समिति की इस बैठक में कोयला मंत्रालय तथा इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के सचिव और अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत किया। तत्पश्चात, सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में, लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया।

3. तत्पश्चात, कोयला मंत्रालय के सचिव ने विषय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में समिति को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में कोकिंग कोल और

ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (जीसीवी) कोल के स्रोत अपर्याप्त हैं। इसके अलावा, बिजली प्राथमिक क्षेत्र होने के कारण, इसे घरेलू स्तर पर उत्पादित नॉन-कोकिंग कोल की अधिकतम हिस्सेदारी मिलती है। अतः कोयला क्षेत्र कोकिंग कोल का आयात करने के लिए मजबूर है। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कोयला उद्योग को काफी उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक कोयला उत्पादन का संबंध है, सचिव ने समिति को बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड ने इस वर्ष 700 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, और देश कोयला क्षेत्र में धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

4. तत्पश्चात्, समिति ने कोयले के आयात की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार कारकों, वर्ष 2023-24 तक शून्य कोयला आयात मिशन की प्राप्ति के लिए मंत्रालय की कार्य योजना, अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठकों के परिणाम, अवैध कोयला खनन, ट्रांसपोर्टरों द्वारा कोयले की चोरी, काली सूची में डाली गई निजी कोयला कंपनियों की सूची उपलब्ध कराने, आवंटित कोयला ब्लॉकों में कोयले का उत्पादन, कोयले के उपयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए अन्य प्रौद्योगिकियां आदि जैसे मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा।

5. कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए। सभापति ने कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सदस्यों द्वारा

पूछे गए उन प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निदेश दिया, जो समिति की बैठक के दौरान अनुत्तरित रहे।

बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध – दो

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की मंगलवार, 20 दिसंबर, 2022 को 1530 बजे से 1600 बजे तक माननीय सभापति कक्ष, कमरा सं. '210', ब्लॉक-बी, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।

उपस्थित

श्री राकेश सिंह - सभापति

लोक सभा

2. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर
3. श्री विजय कुमार हांसदाक
4. श्री कुनार हेम्ब्रम
5. श्री एस. मुनिस्वामी
6. श्री एस.आर.पार्थिबन
7. श्रीमती रीती पाठक
8. श्री चुन्नीलाल साहू
9. श्री अरुण साव
10. श्री खान सौमित्र
11. श्री सुनील कुमार सिंह
12. श्री सुशील कुमार सिंह
13. श्री पशुपति नाथ सिंह
14. डॉ. थोलकप्पियन तिरुमावलवन
15. श्री अशोक कुमार यादव

राज्य सभा

16. श्री समीर उरांव
17. श्री दीपक प्रकाश
18. श्री आदित्य प्रसाद

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. श्री अरविंद शर्मा - निदेशक
3. श्रीमती सविता भाटिया - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात, समिति ने कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोयले का आयात – प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा" विषयक प्रारूप प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया।

4. तत्पश्चात, समिति ने सभापति को संबंधित मंत्रालय से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापन के आलोक में, प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने/सभा पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

5. समिति ने वर्ष 2022-23 के दौरान, जांच हेतु चयनित विषयों के संबंध में दिसंबर, 2022/ जनवरी, 2023 में तत्स्थानिक अध्ययन दौरा करने का भी निर्णय लिया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।